

पत्रावली सं० 16/2021 सरकार बनाम पटवारी सिंह, लखनऊ सिटी

आज्ञा का दिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
15/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री पटवारी सिंह, लखनऊ सिटी पि० पुत्र श्री पटवारी सिंह जाति मेहरा निवासी 19 PTO में फसल रबी/खरीफ सम्बत/सन 2077 में गांव/चक नं० 38 WSM के मु० नं० 12-327 में बीघा सिंचित व 4.50480 असिंचित कुल 4.50480 बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बांधवूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>वह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जप्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की 50 गुणा गुणा पेनल्टी राशि रू० 563 अखरे रू० पंचायत क्षेत्र में स्वयं-मात्र अधिरोपित की जाती है।</p> <p>शु अमिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाम करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्रायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की वसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय छुले न्यायालय में सुनाया जावे।</p>	

2020-2021 के घ रजिस्टर
 210 को क्रम
 563

उप तहसीलदार
 तहसीलदार (पंचजस)
 राजसिंहगढ़